24/1/23

Not Pres.

R. Kumar

Sd/by.

24/01/23

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी श्रीमती द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत तलाक को स्वीकार किये जाने पर प्रार्थी तलाक के अधिवक्ता वादी व वादी के आपसी समझौते एक कागज किये है के उपरान्त दोनों पक्षकारों द्वारा रजीनामा हो गया है उपरान्त के बाद उक्त जाति कराना चाहते है अतः कागज के इसी तरफ और उक्त जाति किया जाता है प्रार्थना पत्र केवल मुकदमा खारिज करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना है

24/1/23

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested